मेन्स मास्टर

क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए?

एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग

किसान कई कारणों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को वैध बनाने की मांग कर रहे हैं:

• **कम और अस्थिर कीमतें:** किसानों को अक्सर उनकी फसलों के लिए बेहद कम और अप्रत्याशित कीमतें मिलती हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत को कवर करना, अपने ऋण का भुगतान करना और एक सभ्य जीवन अर्जित करना मुश्किल हो जाता है। एमएसपी एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करेगा, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद उनकी उपज के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य सुनिश्चित करेगा। इससे उन्हें कुछ वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।

• **कृषि की उपेक्षा:** उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को सरकार द्वारा लंबे समय से उपेक्षित किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में संकट पैदा हो गया है। यह उपेक्षा विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है, जैसे सिंचाई में अपर्याप्त निवेश, गुणवत्तापूर्ण बीजों और उर्वरकों तक पहुंच की कमी और खराब ग्रामीण बुनियादी ढांचा। एमएसपी को वैध बनाना इन मुद्दों को संबोधित करने और देश की भलाई के लिए कृषि के महत्व को पहचानने की दिशा में एक कदम होगा।

• **खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बदलाव:** एमएसपी को वैध बनाने के समर्थकों का तर्क है कि यह खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों हासिल करने में मदद कर सकता है। खाद्य सुरक्षा आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जबकि पोषण सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार मिले। फलों, सब्जियों और दालों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके, एमएसपी भारत के कई हिस्सों में प्रचलित पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में मदद कर सकता है।

एमएसपी को वैध बनाना

एमएसपी को वैध बनाने का मतलब यह होगा कि अगर बाजार की कीमतें उस स्तर से नीचे गिरती हैं तो सरकार एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगी। इससे किसानों को यह आश्वासन मिलेगा कि मौसम में उतार-चढ़ाव या अधिक उत्पादन जैसे उनके नियंत्रण से परे कारकों के कारण बाजार की कीमतें गिरने पर भी उन्हें अत्यधिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हालाँकि, एमएसपी को वैध बनाने की अपनी चुनौतियाँ भी हैं:

• **तार्किक चुनौतियाँ:** सरकार को बड़ी मात्रा में फसलों को संभालने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क के साथ एक मजबूत खरीद प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होगी जो संभावित रूप से एमएसपी पर खरीदी जा सकती है। इसके लिए बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी।

• **वित्तीय बोझ:** सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की लागत सरकार के लिए बहुत अधिक हो सकती है, खासकर अगर बाजार की कीमतें एमएसपी से काफी नीचे गिर जाती हैं। इससे सरकार के बजट पर दबाव पड़ सकता है और संभावित रूप से राजकोषीय असंतुलन पैदा हो सकता है।

सरकारी प्रापण

निम्नलिखित कारणों से यह संभावना नहीं है कि सरकार सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीद सकेगी:

• **लॉजिस्टिक चुनौतियाँ:** जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इतनी बड़ी मात्रा में विविध फसलों के भंडारण और परिवहन का प्रबंधन करना एक बड़ा लॉजिस्टिक उपक्रम होगा जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी।

• **वित्तीय बोझ:** एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की लागत सरकार के लिए अत्यधिक महंगी हो सकती है। सरकार को उपज बिकने तक भंडारण की लागत वहन करनी होगी, जिसमें फसल के आधार पर कई महीने या साल भी लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भंडारण के दौरान खराब होने और बर्बादी का खतरा होता है, जिससे वित्तीय बोझ और बढ़ जाता है।

इसलिए, इस बात की अधिक संभावना है कि सरकार चावल और गेहूं जैसी कुछ प्रमुख फसलों की खरीद पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनके लिए उसने पहले से ही खरीद तंत्र स्थापित किए हैं। अन्य फसलों के लिए, सरकार वैकल्पिक सहायता तंत्र जैसे किसानों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण या बाजार हस्तक्षेप योजनाएं तलाश सकती है।

C2 और A2+FL लागत गणना

इन विधियों का उपयोग फसलों की उत्पादन लागत की गणना के लिए किया जाता है, जो एमएसपी निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। हालाँकि, ऐसी चिंताएँ हैं कि मौजूदा तरीके उत्पादन की वास्तविक लागत को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जिससे कम एमएसपी होता है जो किसानों को उनके प्रयासों के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं देता है।

• **सी2 लागत:** यह विधि किसानों द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान लागत पर विचार करती है, जिसमें किराया, भूमि राजस्व, पारिवारिक श्रम, किराये की श्रम लागत, इनपुट लागत (बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आदि), रखरखाव लागत (मशीनरी और उपकरण के लिए) शामिल हैं।), और ऋण पर ब्याज।

• **A2+FL लागत:** इस पद्धति में C2 लागत के साथ-साथ लाभ और जोखिम के लिए एक निश्चित मार्कअप भी शामिल है। यह मार्कअप किसानों के लिए निवेश पर उचित रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें मौसम के उतार-चढ़ाव और कीट हमलों जैसे कृषि से जुड़े जोखिमों के लिए मुआवजा देता है।

वर्तमान तरीकों की आलोचना:

• **लागत का कम आकलन:** आलोचकों का तर्क है कि दोनों तरीके उत्पादन की वास्तविक लागत को कम आंकते हैं। वे बताते हैं कि C2 पद्धति में अक्सर किसान के स्वयं के श्रम का मूल्य और भूमि की अवसर लागत जैसी अंतर्निहित लागत शामिल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, मनमाने ढंग से निर्धारित मार्कअप का उपयोग करने के लिए A2+FL पद्धति की आलोचना की जाती है जो किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक जोखिमों और अनिश्चितताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

• **क्षेत्रीय भिन्नताएँ:** उत्पादन की लागत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है।

मुद्रास्फीति और उपभोक्ता-किसान बाइनरी पर प्रभाव

मुद्रास्फीति पर प्रभाव:

एमएसपी को वैध बनाने से संभावित रूप से उपभोक्ताओं के लिए कई तरीकों से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं:

• **बढ़ी हुई खरीद लागत:** यदि सरकार को एमएसपी पर बड़ी मात्रा में फसल खरीदनी और भंडारण करना है, तो संबंधित भंडारण और प्रबंधन लागत को उच्च खुदरा कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है।

• **बाजार में व्यवधान:** एमएसपी को वैध बनाने से कृषि बाजारों की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है, जिससे आपूर्ति में कमी हो सकती है और कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि किसान उच्च एमएसपी कीमतों की प्रत्याशा में अपनी फसलों को रोक कर रख सकते हैं, जिससे बाजार में अस्थायी कमी हो सकती है।

• **स्पिलओवर प्रभाव:** कुछ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि से अप्रत्यक्ष रूप से अन्य फसलों की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसान अपने उत्पादन को उच्च एमएसपी वाली फसलों की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे अन्य फसलों की आपूर्ति कम हो जाएगी और परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अधिक हो जाएंगी।

उपभोक्ता-किसान बाइनरी:

एमएसपी के आसपास की बहस अक्सर किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक गलत द्वंद्व पैदा करती है, उन्हें विरोधी हितों के रूप में चित्रित करती है। एमएसपी को वैध बनाने के समर्थकों का तर्क है कि इससे दोनों समूहों को लाभ हो सकता है:

• **उचित मूल्य सुनिश्चित करना:** किसानों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करके, एमएसपी खाद्य कीमतों को स्थिर करने और उन्हें अत्यधिक गिरने से रोकने में मदद कर सकता है। यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं।

• **अस्थिरता को कम करना:** एमएसपी को वैध बनाने से कृषि बाजारों में मूल्य अस्थिरता को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हो सकता है। किसान कीमतों में अचानक गिरावट के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, और उपभोक्ताओं को खाद्य कीमतों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का सामना करने की संभावना कम होती है।

हालाँकि, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। हालांकि किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन इसे उपभोक्ताओं, विशेष रूप से कमजोर आबादी पर अत्यधिक बोझ डालने की कीमत पर नहीं आना चाहिए।

कृषि बाज़ार की विफलता

वर्तमान कृषि बाज़ार प्रणाली को कई कारकों के कारण त्रुटिपूर्ण माना जाता है:

• **कमजोर मंडी प्रणाली:** कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) प्रणाली, जिसका काम कृषि बाजारों को विनियमित करना और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, कई राज्यों में निष्क्रिय है। यह खराब बुनियादी ढांचे, पारदर्शिता की कमी और किसानों का शोषण करने वाले शक्तिशाली बिचौलियों की उपस्थिति जैसे कारकों के कारण है।

• **बिचौलियों की शक्ति:** छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर सौदेबाजी की शक्ति की कमी और बाजारों तक सीमित पहुंच के कारण अपनी उपज बिचौलियों (आढ़तियों) को कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ये बिचौलिए अक्सर किसानों की हताशा और सीमित बाजार ज्ञान का फायदा उठाते हैं, और उनकी उपज को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं।

• **बाजार की जानकारी का अभाव:** कई किसानों के पास विभिन्न बाजारों में विभिन्न फसलों की कीमतों और मांग के बारे में वास्तविक समय की बाजार जानकारी तक पहुंच नहीं है। जानकारी की यह कमी उन्हें बिचौलियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है जो उन्हें आसानी से हेरफेर कर सकते हैं।
ये कारक एक असमान और शोषणकारी कृषि बाजार प्रणाली में योगदान करते हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचाता है और कृषि क्षेत्र की समग्र वृद्धि और दक्षता में बाधा डालता है।

समाधान के रूप में सहकारी समितियाँ और एफपीओ

सहकारी समितियाँ:
• **संभावित लाभ:** सहकारी समितियां किसानों के स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं जो किसानों को उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करने और बेहतर बाजार अवसरों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अपनी उपज को एकत्रित करके और सामूहिक रूप से बातचीत करके, सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों के लिए बेहतर कीमतें सुनिश्चित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, वे क्रेडिट, इनपुट और भंडारण सुविधाओं तक पहुंच जैसे अन्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं।
• **चुनौतियाँ:** सहकारी समितियों को अतीत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और किसानों की भागीदारी की कमी शामिल है। सफल होने के लिए, उन्हें सुव्यवस्थित, पेशेवर रूप से प्रबंधित और वास्तव में अपने किसान सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है।

एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन):
• सहकारी समितियों के समान, **एफपीओ का लक्ष्य सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना है।** वे किसानों को संसाधन जुटाने, बेहतर इनपुट और सेवाओं तक पहुंचने और उनकी विपणन क्षमताओं में सुधार करने में मदद करते हैं।
• **नया और विकसित मॉडल:** जबकि एफपीओ में किसानों के सामने आने वाली कुछ समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है, वे सहकारी समितियों की तुलना में अपेक्षाकृत नया मॉडल हैं। उन्हें क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और एक सक्षम नियामक वातावरण बनाने के मामले में सरकार से समर्थन की आवश्यकता है।
सहकारी समितियां और एफपीओ दोनों ही किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। हालाँकि, उनकी सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें मजबूत प्रशासन, प्रभावी प्रबंधन और स्वयं किसानों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।

अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों की दुनिया को समझना

प्रसंग:

• अंतर्राष्ट्रीय कचरा बीनने वाले दिवस: हर साल 1 मार्च को दुनिया अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के योगदान और संघर्ष को स्वीकार करती है। इस वर्ष, अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी अपरिहार्य भूमिका के बावजूद उनकी अक्सर भुला दी गई और अति-हाशिए की स्थिति को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

• **अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र को व्यक्तियों या छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के रूप में परिभाषित करता है जो औपचारिक पंजीकरण और कानूनी ढांचे के बाहर काम करते हैं। इन श्रमिकों को नगर पालिकाओं या अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त या अनुबंधित नहीं किया गया है।

• **महत्वपूर्ण फिर भी अदृश्य भूमिका:** अपनी अनौपचारिकता के बावजूद, कचरा बीनने वाले कचरा प्रबंधन और संसाधन दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एकत्र करते हैं, छांटते हैं, व्यापार करते हैं, और कभी-कभी छोड़ी गई सामग्रियों को अर्थव्यवस्था में वापस लाते हैं, जिससे रीसाइक्लिंग प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की स्थिति:

• **डेटा चुनौतियाँ:** अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की संख्या पर विश्वसनीय डेटा प्राप्त करना उनके काम की अनौपचारिकता के कारण मुश्किल है। हालाँकि, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुमान से पता चलता है कि विश्व स्तर पर, अनौपचारिक अपशिष्ट अर्थव्यवस्था शहरी आबादी के 0.5% से 2% के बीच कार्यरत है।

• **कमजोर जनसांख्यिकी:** कई कूड़ा बीनने वाले शहरी गरीबों में से सबसे गरीब हैं, जो भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। इनमें अक्सर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल होते हैं, जिनमें से कई विकलांग भी हो सकते हैं।

• **खतरनाक कामकाजी स्थितियाँ और स्वास्थ्य जोखिम:** कचरा बीनने वाले आम तौर पर लंबे समय तक (8-10) घंटे काम करते हैं और बड़ी मात्रा में कचरा (60-90 किग्रा/दिन) इकट्ठा करते हैं। उनके पास अक्सर उचित सुरक्षा उपकरणों की कमी होती है और उन्हें खतरनाक सामग्रियों के संपर्क का सामना करना पड़ता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग और नियमित चोटें जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। उनकी अनिश्चित कार्य स्थिति उनकी कमज़ोरियों को और बढ़ा देती है।

पुनर्चक्रण में योगदान:

* **महत्वपूर्ण अपशिष्ट संग्रहण:** अपशिष्ट बीनने वाले पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का एक बड़ा हिस्सा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो संसाधन पुनर्प्राप्ति और लैंडफिल से अपशिष्ट डायवर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
* **चुनौतियाँ और हाशिए पर जाना:** हालाँकि, कचरा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, दक्षता और लागत में कटौती पर ध्यान देने के साथ, कचरा बीनने वालों को हाशिए पर धकेल सकती है:
  ◦ अपशिष्ट उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश करना, जिससे बीनने वालों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।
  ◦ मशीनरी और प्रौद्योगिकी का उपयोग, शारीरिक श्रम की आवश्यकता को कम करना।
  ◦ कचरा बीनने वालों को कूड़ेदानों से खतरनाक कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना, जिससे उनके स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बढ़ जाते हैं और उनकी सामाजिक स्थिति कम हो जाती है।

चिंतायें:

* **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर):** जबकि ईपीआर का उद्देश्य उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे के लिए जवाबदेह बनाना है, यह अनजाने में अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को कचरा प्रबंधन प्रणाली से विस्थापित कर सकता है:
  ◦ कचरे को अनौपचारिक क्षेत्र से हटाकर बड़े पैमाने पर पुनर्चक्रण सुविधाओं की ओर पुनर्निर्देशित करना।
  ◦ कचरा बीनने वालों या उनके प्रतिनिधि संगठनों को ईपीआर ढांचे में एकीकृत करने में विफल होना।
* **नीति और कानूनी ढांचे से बहिष्करण:** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ईपीआर दिशानिर्देश 2022 जैसी वर्तमान नीतियां अक्सर कचरा बीनने वालों को बाहर कर देती हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा करती हैं और उनके हाशिए पर जाने और कानूनी सुरक्षा की कमी को संबोधित करने में विफल रहती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

* **संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि में न्यायोचित परिवर्तन:** चूंकि संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत कर रहा है, इसलिए अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के लिए एक न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना, उनकी आजीविका की रक्षा करना और उन्हें औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।
* **कचरा बीनने वालों के एकीकरण के साथ ईपीआर को मजबूत करना:** ईपीआर मानदंडों पर पुनर्विचार करना और कचरा बीनने वालों के ज्ञान और विशेषज्ञता को एकीकृत करना प्रणाली को मजबूत कर सकता है और इसकी प्रभावशीलता और समावेशिता सुनिश्चित कर सकता है। इसमें शामिल हो सकता है:
  ◦ ईपीआर आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए कचरा बीनने वालों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।
  ◦ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के भीतर उनकी भूमिकाओं को औपचारिक बनाना और पुनर्चक्रण में उनके योगदान को पहचानना।
  ◦ उनके काम के लिए उचित मुआवजा तंत्र स्थापित करना।
* **डेटा गैप को संबोधित करना:** अनौपचारिक कचरा संग्रहण क्षेत्र के पैमाने और प्रभाव को समझने और नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए व्यापक डेटा संग्रह में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

अनौपचारिक कचरा बीनने वाले कचरा प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक लेकिन अदृश्य अभिनेता हैं। उनके योगदान को पहचानना, उनकी कमजोरियों को संबोधित करना और उन्हें औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत करना अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक न्यायसंगत, टिकाऊ और समावेशी दृष्टिकोण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उनकी विशेषज्ञता को स्वीकार करके और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके, हम भविष्य के लिए अधिक न्यायसंगत और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर

प्रसंग:

* हाल ही में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग देखी गई, जिससे चुनाव की अखंडता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

पृष्ठभूमि:

* **संविधान के अनुच्छेद 80** द्वारा शासित राज्यसभा चुनाव में राज्य विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष चुनाव शामिल होता है।

* 1998 तक, चुनाव आम तौर पर निर्विरोध होते थे; हालाँकि, 1998 के महाराष्ट्र चुनावों के बाद क्रॉस वोटिंग एक मुद्दा बनकर उभरा।

क्रॉस वोटिंग:

• क्रॉस वोटिंग से तात्पर्य राज्यसभा चुनाव में पार्टी के निर्देशों के खिलाफ विधायकों द्वारा मतदान करने से है।

ओपन बैलेट सिस्टम:

• 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करके राज्यसभा चुनावों के लिए एक खुली मतपत्र प्रणाली शुरू की गई।
• विधायकों को अपना मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होगा; ऐसा न करने पर वोट अयोग्य हो जाता है।
• स्वतंत्र विधायकों को अपने मतपत्र प्रकट करने से प्रतिबंधित किया गया है।

दसवीं अनुसूची:

• 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तुत, दसवीं अनुसूची दल-बदल विरोधी को संबोधित करती है।
• पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने वाले या स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने वाले सदस्यों को अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।
• राज्यसभा चुनावों पर लागू नहीं, जुलाई 2017 में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया।
• राज्यसभा चुनाव के लिए कोई पार्टी व्हिप नहीं।

न्यायालय के फैसले:

• सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर मामले (2006) में पारदर्शिता पर जोर देते हुए खुली मतदान प्रणाली को बरकरार रखा।
• अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने वाले निर्वाचित विधायकों को दसवीं अनुसूची की अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा; अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव.
• रवि एस. नाइक मामले (1994) में अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक दलबदल औपचारिक इस्तीफे तक सीमित नहीं है।

छह कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता:

• हिमाचल प्रदेश में छह कांग्रेस विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए और बजट पारित होने के दौरान अनुपस्थित रहकर क्रॉस वोटिंग की।
• दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• न्यायालय ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को बरकरार रखते हुए राज्यसभा के लिए खुले मतदान का समर्थन किया।
• पिछले दशक में क्रॉस-वोटिंग के उदाहरण अपेक्षित पारदर्शिता को चुनौती देते हैं।
• ऐसी गैर-सैद्धांतिक रणनीति का मुकाबला करने के लिए आगे संशोधन की संभावना नहीं है।
• चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लोकतंत्र को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का सुझाव देती है।
• संभावित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका या पिछले मामलों की समीक्षा से क्रॉस-वोटिंग के गंभीर खतरे का समाधान हो सकता है।
• राज्यसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ मतदान करने से दसवीं अनुसूची अयोग्यता का कारण बन सकती है, जो एक निवारक के रूप में कार्य करेगी।

प्रीलिम्स बूस्टर

भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर 13,874 हुई; एमपी शीर्ष पर

- 🐆 भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर 13,874 हो गई है, जिसमें सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में 3,907 है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। यह 2018 से 8% की वृद्धि दर्शाता है जब जनसंख्या 12,852 थी।
- 🌍 सर्वेक्षण में 20 राज्यों को शामिल किया गया और बाघ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों सहित लगभग 70% अपेक्षित तेंदुए के आवास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे पता चलता है कि तेंदुओं की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन इलाकों में रहता है।
- 📈 पिछले चार वर्षों में तेंदुओं की आबादी न्यूनतम वृद्धि के साथ स्थिर बनी हुई है, और बहु-उपयोग क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होने की संभावना है। इससे पता चलता है कि संरक्षण प्रयासों को तेंदुए की आबादी पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- 🚨 उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या में गिरावट का कारण अवैध शिकार और मानव-पशु संघर्ष है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग संरक्षण चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
- 🌳 वन सर्वेक्षणकर्ताओं ने मांसाहारी संकेतों और शिकार की बहुतायत का अनुमान लगाने के लिए 6.4 लाख किमी से अधिक की यात्रा की, 32,000 से अधिक स्थानों पर कैमरा ट्रैप तैनात किए और 47 मिलियन से अधिक तस्वीरें खींची। यह व्यापक सर्वेक्षण तेंदुओं की आबादी और उनके आवासों को समझने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है।

ZSI ने नए खोजे गए समुद्री स्लग का नाम राष्ट्रपति मुर्मू के नाम पर रखा है

🌊 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से खोजी गई रूबी लाल धब्बे वाली हेड-शील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है।

🐚 नई खोजी गई प्रजाति, मेलानोक्लामिस द्रौपदी, पश्चिम बंगाल तट पर दीघा और ओडिशा तट पर उदयपुर में पाई गई थी, और इसकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय सतह और दो पृष्ठीय ढालों के साथ एक छोटा, कुंद और बेलनाकार शरीर है।

🔍 इस प्रजाति की पुष्टि रूपात्मक, शारीरिक और आणविक विशेषताओं की जांच के माध्यम से की गई थी, और यह एक छोटा अकशेरुकीय है जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिमी तक है, इसका रंग भूरा काला है और पिछले सिरे पर रूबी लाल धब्बा है।

🏖️ मेलानोक्लैमिस द्रौपाडी आम तौर पर अंतर्ज्वारीय क्षेत्र पर रेंगते हुए पाए जाते हैं, जो रेतीले समुद्र तटों में अपने पीछे रेंगने के निशान छोड़ते हैं, और उनका प्रजनन जाहिर तौर पर नवंबर और जनवरी के बीच होता है।

📝 ZSI शोधकर्ताओं के अनुसार, जीवित मेलानोक्लैमिस द्रौपाडी जानवर एक आवरण बनाने के लिए लगातार पारदर्शी बलगम का स्राव करते हैं जो रेत के कणों को पैरापोडियल स्थान में प्रवेश करने से रोकता है, और वे एक चलती हुई कैप्सूल बनाने के लिए चिकनी रेत के नीचे रेंगते हैं जहां शरीर शायद ही कभी दिखाई देता है।

जनवरी में कोर सेक्टर की वृद्धि धीमी होकर 15 महीने के निचले स्तर पर, उत्पादन 10 महीने के उच्चतम स्तर पर

📉 भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि जनवरी में 15 महीने के निचले स्तर 3.6% पर आ गई, जो 2023 के आधार प्रभावों के साथ-साथ उर्वरक और रिफाइनरी उत्पादन में संकुचन के कारण हुई, जब उसी महीने में मुख्य क्षेत्रों में 9.7% की वृद्धि हुई थी।

📈 हालाँकि, निरपेक्ष रूप से, कुल उत्पादन स्तर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर था, उत्पादन लगातार दूसरे महीने क्रमिक रूप से बढ़ रहा था और दिसंबर 2023 के स्तर से 2.2% अधिक था। जनवरी में उर्वरक उत्पादन में 0.6% की गिरावट आई, जो फरवरी 2022 के बाद पहली गिरावट है।

📊 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के लिए विकास दर को पहले के अनुमानित 14 महीने के निचले स्तर 3.8% से बढ़ाकर 4.9% कर दिया। कोर इंडस्ट्रीज सूचकांक (आईसीआई) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के 40% से थोड़ा अधिक का गठन करता है।

🧱 आईसीआई में 28% वेटेज के साथ रिफाइनरी उत्पादों में जनवरी में 4.3% की गिरावट आई, जो नौ महीनों में पहला संकुचन है, जबकि 20% वेटेज के साथ बिजली उत्पादन, दिसंबर में मात्र 1.2% की वृद्धि से उबरकर 5.2% हो गया। जनवरी में।

🏗️ उच्च आधार प्रभावों के बावजूद, पूंजीगत व्यय को प्रतिबिंबित करते हुए सीमेंट और स्टील उत्पादन वृद्धि क्रमशः 7% और 5.6% थी, जो मुख्य क्षेत्रों में मिश्रित प्रदर्शन का संकेत देती है।

टाटा भारत का पहला फैब बनाएगा, कैबिनेट ने चिप सुविधाओं के लिए ₹1.25 लाख करोड़ की मंजूरी दी।

🏗️ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कुल ₹1,25,600 करोड़ के तीन सेमीकंडक्टर प्रस्तावों को मंजूरी दी। लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड गुजरात के धोलेरा और मोरीगांव और असम के मोरीगांव में सुविधाएं बनाने के लिए तैयार है।

💻 धोलेरा सुविधा भारत की पहली पूर्ण निर्माण इकाई होगी जिसमें प्रति माह 50,000 'वेफर स्टार्ट' का उत्पादन करने की क्षमता होगी, जो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को शुरू करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

🌐 ताइवान का पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (पीएसएमसी) फैब यूनिट के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार होगा, जो चीन से दूर विविधता लाने के लिए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

🔌 धोलेरा इकाई 28 नैनोमीटर तकनीक के साथ उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूट चिप्स और बिजली प्रबंधन के लिए चिप्स का उत्पादन करेगी, घरेलू मांग को पूरा करेगी और चिप्स का निर्यात भी करेगी।

👷 इन सुविधाओं से 20,000 प्रत्यक्ष नौकरियाँ और 60,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है, जो भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में योगदान देगी।